न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 38/2018

महेन्द्र कुमार टेलर पुत्र जगदीश प्रसाद टेलर निवासी न्यायालय के सामने नैनवा जिला बून्दी राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 16.08.2018

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 11.06.2018 प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र को दिनांक 15.06.2018 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1–राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार दिनांक 14.05.2018 ग्राम पंचायत चारनेट तहसील दूनी के शिविर मे प्रार्थीया को नही मिला न्याय दोषियो के विरूद्व विभागीय कार्यवाही करने का पत्र रजिस्टर्ड डाक से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक को दिनांक 01.06.2018 को प्रेषित किया गया था। आप द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्य प्रतियां दी जावे।

2–राजस्व शिविर न्याय आपके द्वार दिनांक दिनांक 14.05.2018 को कितने नामान्तकरण खोले गये की नामजद सूचि की सत्य प्रतिया दी जावे।

3–राजस्व शिविर न्याय आपके द्वार दिनांक दिनांक 14.05.2018 ग्राम चारनेट मे आयोजित शिविर की पालना राज्य सरकार को प्रेषित की गई है,उसकी सत्य प्रतिया दी जावे।

4–महेन्द्र कुमार टेलर पुत्र जगदीश प्रसाद टेलर द्वारा राजस्व अदालत मे दिनांक 14.05.2018 न्याय आपके द्वार चारनेट पंचायत मुख्यालय पर आयोजित शिविर मे तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। तहसीलदार के आदेशानुसार शिविर के डिस्पेंच क्रमांक 5 पर दर्ज करके नामान्तकरण खोला गया था।फोती विरासत का नामान्तकरण की सत्यप्रति एंव वर्तमान जमाबंदी की सत्यप्रतियॉ दी जावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र क्रमांक 1151 दिनांक 25.07.2018 व 1207 दिनांक 08.08.2018 द्वारा जवाब

भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र क्रमांक 6667 दिनांक 08.08.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि पत्र क्रमांक 6647–48 दिनांक 07.08.2018 से अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि बिन्दू संख्या 2,3 व 4 की सूचना तहसीलदार दूनी से प्राप्त करे। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा नियत समयावधि मे तहसीलदार दूनी को प्रार्थना पत्र अन्तरित नही किया गया है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना तहसीलदार दूनी से प्राप्त कर निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक